

## सरोगेसी कानून

### प्रलिस के लयः

सरोगेसी कानून, [सरोगेसी \(वनयडडन\) अधनयडड 2021](#), डरुडकररी सरुगेसी, वरुणऑडडक सरुगेसी, [संवधरन कर अनुऑऑेड 21](#) ।

### डेनुस के लयः

सरुगेसी कानून तथर संबडध ऑुनरुतथररु, तंतर, कानून, कडऑरु वरुगुं की सुरकषर और डेहतररी के लयः गठतः संसुथररुं एवं नकररड ।

[सरुतः इंडयःन एकरसडररुस](#)

## ऑरुऑर डें करुडरुं?

हरल ही डें डलःली उऑऑ नुडररडरलड ने [सरुगेसी \(वनयडडन\) अधनयडड 2021](#) के तहत सरुगेसी कर लरड उठरने वरली डहलःरुं की डरतररुतर के सरुथ उनकी वैवरहकः सुथतः के संबंड डर सरुवल उठररडर है ।

- डरऑकररुतुतर ने सरुगेसी अधनयडड की धररर 2(1)(s) कुरुनरुती डी, ऑु 35 से 45 वरुष की आडु के डररु डररुतरी वधःवरुं डर तलरकशुडर डहलःरुं के सरुगेसी कर लरड उठरने के अधकररु कुरु सीडतः कररुती है ।
- डरऑकररुतुतर की डरऑकररु डें उस नयडड कुरु डी ऑुनरुती डी गरुड है ऑु एकरल डहलःरु (वधःवरु डर तलरकशुडर) कुरुसरुगेसी के लयः सुवरुड के डडडड/अणुडरणु कर उडडुग कररुने के लयः डऑडूर कररुतः है । करुड डरडलुं डें डहलःरु की उडरु अधकः हरुती है, इस सुथतः डें उसके सुवरुड के डुगडकुरुं कर उडडुग ऑकररुतःसकीड रूड से अनुऑऑतः है तथर वड डरडर डुगडकुरुं के लयः एकर डरतर की तलरश कररुती है ।

## सरुगेसीः

- डरऑडडः**
  - सरुगेसी एकर ऐसी वडुवसुथर है ऑुसः डें एकर डहलःरु (सरुगेऑ) कःसी अनुड वडुऑुतः डर ऑुडे (इऑऑतः डरतर-डतः) की ओर से डऑऑे कुरु ऑनुड डेने के लयः सडडत हरुती है ।
  - सरुगेऑ, ऑुसः कडु-कडु गरुडकरलीन वरहक डी कहर डरतर है, वड डहलःरु हरुती है ऑु कःसी अनुड वडुऑुतः डर ऑुडे (इऑऑतः डरतर-डतः) के लयः गरुड धररण कररुती है और डऑऑे कुरु ऑनुड डेती है ।
- डरुडकररी सरुगेसीः**
  - इसडें गरुडरवसुथर के डरररन ऑकररुतःरु वडुड और डीडर कवरुऑे के अतररुकुतः सरुगेऑ डरुं के लयः कःसी डरुडरकः डुआवरुऑे कुरु शरडलः नरुडी कडडर गडर है ।
- वरुणऑडडकः सरुगेसीः**
  - इसडें डुनडडरडी ऑकररुतःरु वडुड और डीडर कवरुऑे से अधकः डरुडरकः लरड डर इनरड (नकड डर वसुतु के रूड डें) के लयः की गरुड सरुगेसी डर उससे संबंडतः डरऑरुडररुं शरडलः डें ।

## सरुगेसी (वनयडडन) अधनयडड, 2021ः

- डररवधरनः**
  - सरुगेसी (वनयडडन) अधनयडड, 2021 के अनुसररु, 35 से 45 वरुष के डररु की आडु की वधःवरु डर तलरकशुडर डहलःरु तथरकःनूनी रूड से वडडरहतः डहलःरु और डुरुष के रूड डें डरडडरषतः डुगल सरुगेसी कर लरड उठर सकते है ।
    - सरुगेसी के लयः इऑऑतः ऑुडे कःनूनी रूड से वडडरहतः डररुतरी डुरुष एवं डहलःरु कर हरुगः, डुरुष की आडु 26-55 वरुष के डररु हरुगी तथर डहलःरु की आडु 25-50 वरुष के डररु हरुगी और उनकर डहले से कुरुडु ऑैवकः, गुरुड लडडर हुआ डर सरुगेऑ डऑऑर नरुडी हरुगः ।
  - डर वडररवसरडकः सरुगेसी डर डी डररतडरंध लगरतर है, ऑुसःके लयः 10 वरुष कर करररगरुड और 10 लरख रुडड तक कर ऑुरुडरनर हरु सकतर

है।

- कानून केवल परोपकारी सरोगेसी की अनुमति देता है जहाँ कोई पैसे का आदान-प्रदान नहीं होता है, साथ ही सरोगेट माँ का/की आनुवंशिक रूप से बच्चे की तलाश करने वालों के साथ कोई सम्बन्ध/ जान-पहचान होनी चाहिये।

#### ■ चुनौतियाँ:

- **सरोगेट और बच्चे का शोषण:** व्यावसायिक सरोगेसी पर प्रतर्बिध अधिकार-आधारित दृष्टिकोण से आवश्यकता-आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ता है, जिससे महिलाओं की अपने प्रजनन संबंधी नरिणय लेने की स्वायत्तता और मातृत्व का अधिकार समाप्त हो जाता है। यद्यपि कोई यह तर्क दे सकता है कि राज्य को सरोगेसी के तहत गरीब महिलाओं का शोषण रोकना चाहिये और बच्चे के जन्म के अधिकार की रक्षा करनी चाहिये। हालाँकि वर्तमान अधिनियम इन दोनों हितों को संतुलित करने में वफिल रहे हैं।
- **पतिव्रततात्मक मानदंडों की सुदृढता:** यह अधिनियम हमारे समाज के पारंपरिक पतिव्रततात्मक मानदंडों को सुदृढ करता है जो महिलाओं के कार्य को कोई आर्थिक मूल्य नहीं देते हैं और **संवधान के अनुच्छेद 21** के तहत प्रजनन के लिये **महिलाओं के मौलिक अधिकारों** को प्रत्यक्ष रूप से **प्रभावित करते हैं**।
- **भावनात्मक जटिलताएँ:** परोपकारी सरोगेसी में सरोगेट माँ के रूप में कोई दोस्त अथवा रश्तेदार न केवल भावी माता-पिता के लिये बल्कि सरोगेट बच्चे के लिये भी भावनात्मक जटिलताएँ उत्पन्न कर सकता है क्योंकि सरोगेसी की अवधि और जन्म के बाद बच्चे से उनके रश्ते को लेकर समस्याएँ हो सकती हैं।
  - परोपकारी सरोगेसी इच्छुक दंपति के लिये सरोगेट माँ चुनने के विकल्प को भी सीमति कर देती है क्योंकि बहुत ही सीमति रश्तेदार इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिये तैयार होंगे।
- **तीसरे पक्ष की भागीदारी न होना:** परोपकारी सरोगेसी में किसी तीसरे पक्ष की भागीदारी नहीं होती है। तीसरे पक्ष की भागीदारी यह सुनिश्चित करती है कि **इच्छति युगल** सरोगेसी प्रक्रिया के दौरान चकितिसा और अन्य विधि **खर्चों को वहन करेगा तथा उसका समर्थन करेगा**।
  - कुल मिलाकर, एक तीसरा पक्ष इच्छति युगल और सरोगेट माँ दोनों को जटिल प्रक्रिया से गुज़रने में मदद करता है, जो परोपकारी सरोगेसी के मामले में संभव नहीं हो सकता है।
- **सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने से संबंधित कुछ शर्तें:**
  - सरोगेसी सेवाओं का लाभ उठाने के लिये अवविहित महिलाओं, एकल पुरुषों, लवि-इन पार्टनर्स और समान-लगा वाले युग्मों को बाहर रखा गया है।
  - **यह वैवाहिक स्थिति** लिये एवं यौन रुझान के आधार पर भेदभाव है और उन्हें अपनी इच्छा का परिवार बनाने के अधिकार से वंचित करता है।

## सर्वोच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में किये गये बदलाव:

- मार्च 2023 में एक सरकारी अधिसूचना ने **प्रदाता युग्मों के उपयोग पर प्रतर्बिध** लगाते हुए कानून में संशोधन किया।
  - इसमें कहा गया है कि "इच्छुक जोड़ों" को सरोगेसी के लिये अपने स्वयं के युग्मों का उपयोग करना होगा।
- इस संशोधन को **महिला के मातृत्व के अधिकार का उल्लंघन बताकर चुनौती** देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई थी।
- न्यायालय के अनुसार, **शशु का माता या पिता से आनुवंशिक संबंध होना चाहिये**।
- न्यायालय ने इस बात पर बल दिया कि गर्भकाल में सरोगेसी की अनुमति देने वाला कानून "महिला-केंद्रित" है, जिसका अर्थ है कि सरोगेट शशु को जन्म देने का नरिणय महिला की चकितिसीय या जन्मजात स्थितिके कारण **माँ बनने में असमर्थता पर आधारित** है।
- न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जब **सरोगेसी नयिमाँ का नयिम 14(a)** लागू होता है, जो **चकितिसा या जन्मजात स्थितियों** को सूचीबद्ध करता है तथा एक महिला को **गर्भकालीन/जेस्टेशनल सरोगेसी** का विकल्प चुनने की अनुमति देता है, तो बच्चा इच्छति जोड़े, विशेषकर पिता से संबंधित होना चाहिये।
  - **जेस्टेशनल सरोगेसी** एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक महिला **दूसरे व्यक्ति या जोड़े के लिये एक बच्चे को जन्म देती है**। इसमें सरोगेट मद्र बच्चे की बायोलाजिकल माँ नहीं होती है, बल्कि वह सिर्फ बच्चे को जन्म देती है। इस गर्भाधान में होने वाले अथवा डोनर/प्रदाता पिता के शुक्राणु और माता के अंडाणु का टेस्ट-ट्यूब के तहत नरिचन कराने के बाद इसे सरोगेट मद्र के गर्भाशय में ट्रांसप्लांट किया जाता है।
- सर्वोच्च न्यायालय ने उन महिलाओं के लिये सरोगेसी (वनियिमन) अधिनियम, 2021 के नयिम 7 को प्रतर्बिधित किया है जो **मेयर-रोकितिसकी-कुस्टर-हॉसर (MRKH) सडिरोम** (एक असामान्य जन्मजात विकार जो महिला प्रजनन प्रणाली को प्रभावित करता है) से पीड़ित हैं, ताकि पीड़ित महिला को प्रदाता डमिब/अंडाणु का प्रयोग करके सरोगेसी के करयानवयन की अनुमति दी जा सके।
  - सरोगेसी अधिनियम का नयिम 7 प्रक्रिया के लिये प्रदाता डमिब/अंडाणु के उपयोग पर प्रतर्बिध लगाता है।

## आगे की राह

- समावेशिता, नैतिकता और चकितिसा प्रगतपर ध्यान केंद्रित करके भारत **सरोगेसी के लिये एक ऐसा मज़बूत कानूनी ढाँचा स्थापित** कर सकता है जो व्यक्तियों के अधिकारों का सम्मान करता है, इसमें शामिल सभी पक्षों की भलाई सुनिश्चित करता है तथा सहायक प्रजनन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से परिवार शुरू करने के इच्छुक लोगों का समर्थन करता है।

